

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

“कार्यालय आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17(छः) में निहित प्राविधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री बीरेन्द्र सिंह चौहान, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चमोली।	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।	अनुरोध के आधार पर

यह आदेश दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होंगे। अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

(डा०प्रेम कुमार)  
निदेशक।

संख्या 1218 /स्था०एक/वा०स्थाना०/2023-24

दिनांक 12 जून, 2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वरिष्ठ निजी सचिव, मा०मंत्री जी, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार को मा०मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ।
- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चमोली/पौड़ी।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।

(डा०प्रेम कुमार)  
निदेशक।